राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक / रीडर / 2018 / 902 दिनांक 18/5/18

प्रेषित :–

तहसीलदार सेड़वा

विषय :– राजस्व आवेदन सं. 176 / 17 अन्तर्गत धारा 131,136 भू.रा.अ. अनवान जगदीश बनाम प्रेमाराम वगैरा में निर्णय की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त आवेदन में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.05.18 की पालना निर्णय की प्रमाणित प्रति के अनुसार नाम दुरस्ती कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर 15 दिवस में पालना रिपोर्ट पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 176/17

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

<u>अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act</u>

अनवान प्राथी – 1.जगदीश पुत्र लालाराम, जाति कोली
निवासी भंवार, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्राथीगण – 1.प्रेमाराम 2.कलाराम 3.प्रभूराम 4.डूंगराराम 5.पानाराम
6.पीराराम पि. लालाराम, जाति कौली
निवासी भंवार, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

<u>निर्णय</u>

दिनांक :– 16.05.2018

प्राथी द्वारा प्रस्तुत आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्राथी एवं विप्राथी सं. 1 व 6 के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा सं. 418/137 रकबा 75.00 बीघा मौजा भंवार, तहसील सेड़वा में आया हुआ है। प्राथी एक गरीब व अनपढ़ व्यक्ति है। उसे कभी राजस्व रेकर्ड देखने की जरूरत नहीं पड़ी। प्राथी का नाम राजस्व रेकर्ड में लम्बे समय तक शंकरा ही रहा जबकि प्राथी का सही नाम जगदीश है तथा समस्त सरकारी दस्तावेज, मतदान पहचान पत्र, राशनकार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जॉबकार्ड इत्यादि में प्राथी का नाम जगदीश ही अंकित है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में नाम अंकित करवाते समय घर में बोलचाल की भाषा में प्राथी का नाम शंकरा था जो गलती से जगदीश के स्थान पर शंकरा दर्ज हो गया। वास्तव में प्राथी का नाम जगदीश है। इसलिए प्राथी अपना नाम दुरस्त करवाने का अधिकारी है , इस हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्राथी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्राथीगण को नोटिस जारी किये गये। प्राथी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में नकल जमाबन्दी खसरा सं. 418/137 रकबा 75.00 बीघा मौजा भंवार संवत् 2070–2073, स्वयं का पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड की छायाप्रतियां न्यायालय में पेश की ।

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प भंवार में पेश हुई। प्राथी स्वयं उपस्थित हुआ। प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर तहसीलदार सेड़वा को उक्त प्रकरण

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

में तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देशित किया गया । तहसीलदार सेड़वा ने जांच रिपोर्ट पेश की । जो पत्रावली शामिल की गई।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 1 व 6 के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा सं. 418/137 रकबा 75.00 बीघा मौजा भंवार, तहसील सेड़वा में आया हुआ है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी जगदीश का नाम राजस्व रेकर्ड में शंकरा दर्ज हो गया । जो प्रार्थी के घर का बोलचाल की भाषा का नाम था और गलती से जगदीश के स्थान पर शंकरा दर्ज हो गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विविध दस्तावेजों में भी प्रार्थी का नाम जगदीश अंकित है। इसलिए प्रार्थी का नाम शंकरा के स्थान पर जगदीश दुरस्त करना न्यायोचित होगा ।

अतः न्यायहित में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 1 व 6 के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा सं. 418/137 रकबा 75.00 बीघा मौजा भंवार, तहसील सेड़वा में दर्ज प्रार्थी का गलत नाम शंकरा के स्थान पर जगदीश दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को लोक अदालत/कोर्ट कैम्प भंवार में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन